रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 487] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 30, 1974/अग्रहायण 9, 1896

No. 487] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 30, 1974/AGRAHAYANA 9, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November 1974

S.O. 680(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (i) of section 13B of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission hereby directs that the following amendmnt shall be made in its notifiication No. 429/CH/771 dated the 5th January, 1971:—

For the existing entry "(a) the Assistant Estate Officer, Chandigarh, to be the Electoral Registration Officer," the entry "(a) the Executive Magistrate, Union Territory Chandigarh, to be the Electoral Registration Officer," shall be substituted.

[No. 429/CH/74]
By order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1974

एस० ओ० 680 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13ख की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 429/चण्डी०/71, तारीख 5 जनवरी, 1971 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :—

"(क) विद्यमान प्रविष्टि/सहायक संपदा अधिकारी, चण्डीगढ़ को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के रूप में ",

के स्थान पर, "(क) कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के रूप मे", प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

[सं० 429/चण्डी०/74]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974